(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 –ए 80/19
दायरा दिनांक –07.08.2019
निर्णय दिनांक –30.09.2019

बउनवान

1. हेमन्त नागर उम्र 24 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. अभिषेक नागर उम्र 18 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
3. तरूण नागर उम्र 8 वर्ष नाबा. पुत्र विजेन्द्र कुमार जर्ये वली माता मिथलेष उम्र 34 वर्ष पत्नी विजेन्द्र जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
4. अरूण नागर उम्र 6 वर्ष नाबा. पुत्र विजेन्द्र कुमार जर्ये वली माता मिथलेष उम्र 34 वर्ष पत्नी विजेन्द्र जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

वादीगण

–:बनाम:–

1. प्रेमनारायण पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. सुमन्त पुत्र प्रेमनारायण जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. सत्यनारायण पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. ममताबाई पुत्री राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
6. कैलाबाई पत्नी राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक:–30.09.2019

निर्णय

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 एवं 188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक सत्यनारायण गोयल इस आशय का पेश किया –

1. यह कि ग्राम मामली पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 65 ख.नं. 35/1 रकबा 70.00 बीघा किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां

Scanned with CamScanner

बारानी 2 लगानी 35.00रू. स्थित है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 की पुश्तेनी आराजियात् है इस मद में वर्णित आराजियात् को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात् के वर्तमान सहखातेदार वादी कम 1 के पिता प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण व वादी कम 2 के पिता प्रतिवादी कम 3 सत्यनारायण है एवं वादी कम 3 व 4 के पिता प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र कुमार है यह भूमि प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 को अपने पूर्वजो की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी कम 1 के वर्तमान मे केवल 2 पुत्र वादी कम 1 हेमन्तनागर प्रतिवादी कम 2 सुमन्त है एवं प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण के इनके अलावा विवादित आराजी मे हक एवं अधिकार जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी कम 1 का वारिस वर्तमान मे जीवित नही है। एवं प्रतिवादी कम 3 के वर्तमान मे केवल एक मात्र पुत्र वादी कम 2 अभिषेक नागर है इसके अलावा प्रतिवादी कम 3 के विवादित आराजी मे हक एवं अधिकार जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी कम 3 का वारिस वर्तमान मे जीवित नही है। एवं प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र कुमार के वादी कम 3 तरूण नागर व वादी कम 4 अरूण नागर केवल 2 पुत्र है इनके अलावा प्रतिवादी कम 4 के विवादित आराजी मे हक जताने वाला अन्य कोइ वारिस नही है । वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 को वादीगण के पूर्वजो से प्राप्त हुई है इस कारण विवादित भूमि में वादीगण का कानूनी पेदाईशी हक है वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 के मध्य हुये मोखिक बंटवारे के अनुसार विवादित भूमि मे खाता सं. 65 ख.नं. 35/1 रकबा 70.00 बीघा मे वादी कम 1 हेमन्त नागर को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण व प्रतिवादी कम 2 सुमन्त को 1/9–1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ है । एवं वादी कम 2 अभिषेक नागर को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवादी कम 3 सत्यनारायण को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं वादी कम 3 तरूण नागर व वादी कम 4 अरूण नागर को विवादित आराजी मे 1/9 –1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र कुमार को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ है । जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 काबिज काश्त करते चले आ रहे है । एवं प्रतिवादिया कम 5 व 6 ने विवादित आराजी मे हिस्सा नही लिया है तथ अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पक्ष मे हकत्याग किया है । इस कारण वादीगण विवादित आराजी मे प्राप्त वादी कम 1 के हिस्से 1/9 पर व वादी कम 2 के हिस्से 1/6 एवं वादी कम 3 के हिस्से 1/9 व वादी कम 4 के हिस्से 1/9 पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है ।

3. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 का संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका विभाजन नही हुआ है । वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 मद नं. 1 वाद पत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे से मोखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि के अपने अपने हिस्सो पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 अनाधिकृत जबरन वादीगण को उनके जायज हक से वंचित करने के उद्देश्य से मद नं. 1 वाद पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात् को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करने व वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर

440

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आमादा है इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी कम 1 ता 6 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है ।

4. यह कि वादी ने राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 2.7.2019 को इस बाबत् निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई सहायता नही की, तथा दावा करने की सलाह दी यही से वादकारण पैदा हुआ । दिनांक 2.7.2019 को प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 ने वादीगण के हकूक मानने से मना कर दिया। प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 ने दिनांक 2.7.2019 का वादीगण को धमकी दी है कि चाहे लाशे गिर जाये विवादित भूमि वर्णित मद नं. 1 वाद पत्र मे स्थित प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 के हिस्से को प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करके रहेगें तथा वादीगण को मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि से बेदखल करके रहेगें । इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी कम 1 ता 6 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है।

5. यह कि वादीगण कम 3 व 4 नाबालिग है इस कारण यह वाद पत्र जर्ये वली नाबालिग की माता मिथलेष द्वारा पेश किया जा रहा है ।

6. यह कि वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां के अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 29.07.2019 को अन्तर्गत धारा 80 सी. पी.सी. का नोटिस अवधि 2 माह प्रेषित कर दिया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 2 माह तक इंतजार किया जाना संभव नही है । इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80(2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है ।

7. यह कि वाद कारण दिनांक 2.7.2019 को उत्पन्न हुआ।

8. यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चरण कम 1 वाद पत्र मे वर्णित आराजियात् ग्राम मामली पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 65 ख.नं. 35/1 रकबा 70.00 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 35.00रू. पर वादी कम 1 हेमन्त नागर को हिस्से 1/9 पर एवं वादी कम 2 अभिषेक नागर को हिस्से 1/6 एवं वादी कम 3 तरूण नागर को हिस्से 1/9 पर एवं वादी कम 4 अरूण नागर को हिस्से 1/9 पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 के स्थान पर वादी कम 1 हेमन्त नागर को व प्रतिवादी कम 3 के स्थान पर वादी कम 2 अभिषेक नागर व प्रतिवादी कम 4 के स्थान पर वादी कम 3 तरूण नागर व वादी कम 4 अरूण नागर का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं विवादित भूमि वादीगण के हक मे खिलाफ प्रतिवादीगण आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादीगण के हकूक मे दखलंदाजी न करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक एड0 एस0के0 राणा ने वकालत नामा पेश किया। उभय पक्ष ने राजीनामा इस आशय का पेश किया–

यह कि ग्राम मामली पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 65 ख.नं. 35/1 रकबा 70.00 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 35.00रू. स्थित है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 की पुश्तेनी आराजियात् है इस मद में वर्णित आराजियात् को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात् मे वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है जो निम्न प्रकार से है –

(प) राजीनामे मे वादी कम 1 हेमन्त नागर को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/9

(पप) राजीनामे मे प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/9

(पपप) राजीनामे मे प्रतिवादी कम 2 सुमन्त को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/9

(पअ) राजीनामे मे वादी कम 2 अभिषेक नागर को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/6

(अ) राजीनामे मे प्रतिवादी कम3 सत्यनारायण को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/6

(अप) राजीनामे मे वादी कम 3 तरूण नागर को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/9

(अपप) राजीनामे मे वादी कम 4 अरूण नागर को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/9

(अपपप) राजीनामे मे प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र नागर को प्राप्त भूमि

ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
35/1	70 बीघा	हिस्सा 1/9

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

3. यह कि राजीनामे मे प्रतिवादिया कम 5 व 6 द्वारा कोई हिस्सा नही लिया है तथा अपना हिस्सा वादीगण कम 1 ता 4 व प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पक्ष मे समभाग मे परित्याग किया है ।

4. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 राजीनामे मे प्राप्त भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद शेष नही रहा है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने मध्य हुये राजीनामे को माननीय न्यायालय से तस्दीक कराना चाहते है ।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये तस्दीक कर वादी कम 1 वाद पत्र मे एवं राजीनामे मे वर्णित आराजियात् ग्राम मामली पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नं 65 ख.नं. 35/1 रकबा 70.00 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 35.00रू. पर वादी कम 1 हेमन्त नागर को प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण के स्थान पर हिस्से 1/9 पर एवं वादी कम 2 अभिषेक नागर को प्रतिवादी कम 3 सत्यनारायण के स्थान पर हिस्से 1/6 एवं वादी कम 3 तरूण नागर को प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र कुमार के स्थान पर हिस्से 1/9 पर एवं वादी कम 4 अरूण नागर को प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र कुमार के स्थान पर हिस्से 1/9 पर एवं प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण को हिस्से 1/9 पर एवं प्रतिवादी कम 2 सुमन्त को प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण के स्थान पर हिस्से 1/9 पर एवं प्रतिवादी कम 1 प्रेमनारायण को हिस्से 1/9 पर एवं प्रतिवादी कम 3 सत्यनारायण को हिस्सा 1/6 पर एवं प्रतिवादी कम 4 विजेन्द्र कुमार को हिस्से 1/9 पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें अन्य यथोचित सहायता वादीगण एवं प्रतिवादीगण को प्रदान की जावें।

राजीनामा मे वादीगण की पहचान अभि0एस0एन0 गोयल ने प्रतिवादीगण की पहचान एड0 एस0के0 राणा ने की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। राजीनामा पत्रावली पर लेकर तस्दीक किया गया। राजीनामानुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,90 एवं 188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः राजीनामानुसार इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है। वाकेग्राम मामली पटवार हल्का मामली की खतोनी ख0न0 35/1 रकबा 70 बीघा मे वादी क्रम 1 हेमन्त नागर को प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमनारायण के स्थान पर हिस्सा 1/9 एवं वादीक्रम 2 अभिषेक नागर को प्रतिवादी क्रम 3 सत्यनारायण के स्थान पर हिस्से 1/6 एवं वादीक्रम 3 तरूण नागर को प्रतिवादी क्रम 4 विजेन्द्र कुमार के स्थान पर हिस्से 1/9 पर एवं वादी क्रम 4 अरूण नागर का प्रतिवादी क्रम 4 विजेन्द्र कुमार के स्थान पर हिस्से 1/9 एवं प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमनारायण को हिस्से 1/9 पर एवं प्रतिवादी क्रम 2 सुमन्त को प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमनारायण के स्थान पर हिस्से 1/9 पर एवं प्रतिवादी क्रम 3 सत्यनारायण को हिस्सा 1/6 पर एवं प्रतिवादी क्रम 4 विजेन्द्र कुमार को हिस्से 1/9 पर खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

57

वादीगण क्रम 1 ता 4 का नाम अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner